IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty

एकीकृत आजीविका संवाद

अंक 5 मई, जून व जुलाई, 2015

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

आजीविका संवर्द्धन की प्रक्रिया में परियोजना का मुख्य कार्य आजीविका संघ (Livelihood Collective LC) का गठन करना भी है। आजीविका संघों का गठन 55 से 60 उत्पादक समूहों के ऊपर क्लस्टर स्तर पर किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा वर्तमान तक कुल 29 (अल्मोड़ा-08, बागेश्वर-03, पिथौरागढ़-02, चमोली-04, रूद्रप्रयाग-05, टिहरी-04, उत्तरकाशी-02 तथा देहरादून-01) आजीविका संघों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से कुल 04 (अल्मोड़ा-01, चमोली-02 तथा रूद्रप्रयाग-01) आजीविका संघ उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत किये जा चुके हैं।

पृष्ठ-6

परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा भविष्य में प्रगति हेतु सुझाव देने के लिये अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) का संयुक्त समीक्षा मिशन दिनांक 6 से 8 अप्रैल तक परियोजना क्षेत्रों के भ्रमण पर आया। मिशन की टीम ने ILSP के मुख्य परियोजना निदेशक सहित तीनों क्रियान्वयन एजेंसियों- उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (घटक 1), जलागम प्रबंध निदेशालय (घटक 2) और उपासक (घटक 3) की परियोजना प्रबंधन इकाईयों तथा चार परियोजना जनपदों का भ्रमण करके प्रतिभागी परिवारों, सामुदायिक संगठनों, क्रियान्वयन सहयोगियों तथा स्थानीय प्रशासन से मिलकर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

पृष्ठ-3

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली के बुरसोल गाँव में परियोजना के हस्तक्षेप एवं मार्गदर्शन से समुदाय द्वारा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की पहल गई........

पृष्ठ-8

सुरसिंग उत्पादक समूह की सदस्य विमला देवी के सपने को साकार करती परियोजना ......

पृष्ठ-17

'अवसर की पहचान' गरूड़ विकासखण्ड में 6 उत्पादक समूहों द्वारा मुर्गी पालन की शुरूआत....

पृष्ठ-13

व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति महिलाओं का बढ़ता रूझान......

पृष्ठ-15

समुदाय की आवाज

"जब से मैं परियोजना से जुड़ी हूँ, तब से मैं खेती बाड़ी और सब्जी उत्पादन से ₹5000/- प्रति माह तक कमा लेती हूँ। पहले मैं सब्जी उत्पादन से आय के बारे में सोच भी नही सकती थी। हमारे उत्पाद कभी-कभार ही बिक पाते थे लेकिन अब मैं परियोजना से मिली जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद 10-12 नाली जमीन पर सब्जी उत्पादन कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर हाथ खोलकर खर्च कर रही हूँ।"

श्रीमती खष्टी देवी
माँ दुर्गा आजीविका समूह, जनपद अल्मोड़ा

"परियोजना से जुड़ने के बाद मैंने दो भैंसे पाली जिनसे मुझे प्रतिदिन 16 लीटर दूध मिलता है। दुग्ध व्यवसाय से मुझे प्रतिमाह ₹ 5-6 हजार की आय हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक मौसम में लगभग ₹ 5-6 हजार की सब्जियाँ भी बेचती हूँ। मैंने इस कार्य हेतु समूह से ₹40,000/- का ऋण लिया था जिसका भुगतान मैं कर चुकी हूँ। मैंने अपनी बढ़ी हुई आमदनी से अपने घर की मरम्मत भी करवाई है।"

श्रीमती चम्पा देवी
गौली महर गाँव, जनपद अल्मोड़ा

"परियोजना से जुड़ने से पहले मुझे पैसों का अभाव रहता था पर आज मेरी स्थिति बदल चुकी है। मैं सब्जी का कारोबार कर रही हूँ। मैंने 25 नाली जमीन पर आम, अमरूद और पपीते का बाग लगाया है। मैंने जर्सी गाय खरीदी और मुर्गीपालन का कार्य भी कर रही हूँ। समूह से ऋण लेकर मैंने एक वाहन भी खरीदा है। गंगा देवी बताती हैं कि उन्होंने एक रिजॉर्ट का निर्माण भी किया है। अपने ऋण में से वह अब तक ₹40,000/- का पुनर्भुगतान भी कर चुकी हैं। वह बताती हैं कि इन सभी उद्यमों से मुझे लगभग ₹ 100,000/- प्रतिवर्ष की शुद्ध आय हो जाती है।"

श्रीमती गंगा देवी,
देवी स्वयं सहायता समूह मंगलता, जनपद अल्मोड़ा

"सब्जी उत्पादन से मेरी आय बढ़ी है और पशुधन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। घर में पशुओं की संख्या बढ़ने से बच्चों के लिये दूध, दही, घी और मट्ठा तथा खेती के लिये पर्याप्त गोबर मिल जाता है। घर पर ही ताजी सब्जी तथा दूध दही मिलने से परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। घर की खुशहाली ने गंगा के सपनों को नई उड़ान दी है। अब वह बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना चाहती है। गंगा और उसका परिवार इस खुशहाली का श्रेय ILSP परियोजना को देते हैं।"

श्रीमती गंगा देवी
अगलाड़ स्वायत्त सहकारिता, जौनपुर, टिहरी

"बंदरों तथा जंगली जानबरों से फसलों को बचाने के लिये अदरक, हल्दी जैसी फसलें लगायें। जंगली जानवर इन फसलों को हानि नहीं पहुँचाते हैं। 5 से 10 महिलायें छोटी छोटी चकबंदी करें ताकि पशुओं से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।"

कौंसा भट्ट
अध्यक्ष, चंद्रबदनी स्वायत्त सहकारिता,
देवप्रयाग, टिहरी

"आनन्दी देवी ने बताया कि उनके क्षेत्र में जड़ी-बूटियों, झूला घास एवं अतीस की व्यापक स्तर पर तस्करी की जा रही है जिससे छोटे छोटे पौधों को नुकसान हो रहा है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्या हम बेरोजगारी दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं?"

अनुक्रमिका

क्र. सं.	विवरण	पृ०सं०
1	आईफैड के संयुक्त समीक्षा मिशन का परियोजना भ्रमण	3
2	सबका साथ सबका विकास को सार्थक करतीं ग्राम प्रधान जुजराली	5
3	व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति महिलाओं का बढ़ता रूझान	6
4	महिला कार्यबोझ कमी में सहायक दरांती	6
5	उत्पादक समूहों द्वारा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की पहल	7
6	सपनों को साकार करती परियोजना	8
7	समुदाय की पहल से खुली सफलता की राह	9
8	परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ	10-14
9	समूहों को प्रदान की जाने वाली सहयोग धनराशि के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश	15
10	एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के घटक 1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि का वार्षिक आउटकम सर्वे	16
11	अपने धानों को जानों	17
12	गढ़वाल क्षेत्र में तुलसी उत्पादन गरीब और छोटे किसानों के लिए आयअर्जक गतिविधि	18
13	संरक्षित क्षेत्रों में ईको-पर्यटन	19

आख्या

आईफैड के संयुक्त समीक्षा मिशन का परियोजना भ्रमण

परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा भविष्य में प्रगति हेतु सुझाव देने के लिये अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) का संयुक्त समीक्षा मिशन दिनांक 6 से 8 अप्रैल तक परियोजना क्षेत्रों के भ्रमण पर आया। आईफैड द्वारा किया जाने वाला यह दूसरा पर्यवेक्षण मिशन है। मिशन की टीम ने ILSP के मुख्य परियोजना निदेशक सहित तीनों क्रियान्वयन एजेंसियों- उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (घटक 1), जलागम प्रबंध निदेशालय (घटक 2) और उपासक (घटक 3) की परियोजना प्रबंधन इकाईयों के स्टाफ से मुलाकात की। मिशन ने चार परियोजना जनपदों का भ्रमण करके प्रतिभागी परिवारों, सामुदायिक संगठनों, क्रियान्वयन सहयोगियों तथा स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों से मिलकर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। मिशन ने अपने निष्कर्षों और प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण निम्न रूप से दिया हैः-

1- मिशन ने कार्यक्रम क्रियान्वयन का आकलन करते हुये जानकारी दी कि परियोजना की स्टाफ और सहयोगी संस्थाओं से संबंधित कई कठिनाइयों को काफी हद तक दूर किया जा चुका है और धीमी गति से शुरूआत करने के बावजूद उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति एवं जलागम प्रबंधन परियोजना ने काफी अच्छी प्रगति की है।

2- परियोजना ने फील्ड में क्रियान्वयन के लिये सात तकनीकी एजेंसियों को शामिल किया है। प्रत्येक एजेंसी को दो नये विकासखंड आवंटित किये गये हैं। इन तकनीकी एजेंसियों ने अपने कार्यालय खोल कर इनमें आवश्यक स्टाफ को भी नियुक्त कर लिया है। कुल मिलाकर 971 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों को प्रेरित करके उनका बैंक में खाता खुलवाया जा चुका है। सदस्यों को उनकी मासिक बचत को इस खाते में जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन का मानना है कि इन उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों के प्रबंधन के लिये इनमें पुरूष सदस्यों को जोड़ा जाना आवश्यक है क्योंकि इन उत्पादक समूहों और असहाय उत्पादक समूहों की अधिकांश सदस्य महिलायें हैं।

3- परियोजना प्रत्येक उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह को खाद्य सुरक्षा सुधार योजना के क्रियान्वयन के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये प्रति सदस्य, प्रति वर्ष ₹3600 की धनराशि उपलब्ध करवा रही है। परियोजना क्षेत्र के 648 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों को प्रथम वर्ष में दी जाने वाली सहयोग राशि अवमुक्त की जा चुकी है। आजीविका संघों को विकसित करने के लिये इस प्रक्रिया में फास्ट ट्रैकिंग या तीव्रता लाये जाने की आवश्यकता होगी।

4- वर्तमान परियोजना ने, पूर्व की परियोजना द्वारा प्रोत्साहित सभी फैडरेशनों को ₹2,00,000 का सहयोग भी दिया है। इन सभी फैडरेशनों ने विभिन्न आय अर्जक गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया है जैसे पशुओं के लिये चारा और अन्य डेयरी इनपुट्स, पिसे हुये मसालों की बिक्री, परचून की दुकान और दुग्ध एकत्रीकरण आदि। इसके अतिरिक्त कुछ फैडरेशनों ने समेकित बाल विकास योजना के लिये टेक होम राशन की आपूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। इस गतिविधि ने फैडरेशनों के संचालन की गतिविधि को बदल कर रख दिया है तथा इससे महिलाओं को, राशन को पैक करने और वितरित करने से रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इससे प्रेरित होकर स्थानीय सदस्यों ने टेक होम राशन के लिये आवश्यक सामग्री जैसे मंडुवा, बाजरा और

दालों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। फैडरेशनों के लिये व्यावसायिक योजनायें बनाने की भी आवश्यकता है। फैडरेशन के स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया तथा वैधानिक अनुपालन में भी सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

संयुक्त समीक्षा मिशन ने परियोजना के भ्रमण के पश्चात अपने सुझाव निम्न प्रकार से दिये हैं:-

- पिछले कुछ महीनों में परियोजना ने काफी अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी अपनी उपलब्धियों के परिणामों के आधार पर इसे और आगे जाना है। तीन वर्षों के क्रियान्वयन के बाद भी परियोजना निधि से काफी कम धनराशि का व्यय किया गया है। अतः क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के लिये और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये UGVS, WMD के PMU के घटक 1 की तकनीकी एजेंसियों सहित स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये। सात नये घटक 1 के ब्लॉकों (जिसमें 3 अतिरिक्त ब्लॉक भी शामिल हैं) के लिये नई तकनीकी एजेंसियों से अनुबंध किये जाने की आवश्यकता है।
- परियोजना को पुनर्गठित करने के लिये घटक 1 में वित्त की राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी केवल 159 पदों को ही स्वीकृत किया गया है। मिशन ने सुझाव दिया है कि UGVS में स्टाफ की आवश्यकता की (अतिरिक्त ब्लॉकों सहित) समीक्षा होनी चाहिये और अगले वर्ष मध्यावधि समीक्षा से पहले कर्मचारियों से संबंधित नीति का निर्माण भी किया जाना चाहिये।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की नवोन्मेषी कृषि संबंधी समस्याओं को संबोधित करने और हाल ही की वर्षा में आई आपदा से राहत के लिये सह घटकों को वित्तीय सहयोग देने के लिये मिशन द्वारा अनेकों प्रस्ताव दिये गये हैं। मिशन ने आपदा प्रबंधन एवं इससे उबरने के लिये घटक 1 में एक नये सहघटक के सृजन का प्रस्ताव दिया है।
- उपासक द्वारा क्रियान्वित आजीविका वित्त सहयोग में काफी कम प्रगति दर्ज की गई है। उपासक ने अभी तक उन पुराने एवं परिपक्व ULIPH के फैडरेशनों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया है जिनको वित्तीय सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। उपासक ने पिछले वर्ष स्वयं सहायता समूहों और सदस्यों को मात्र 861 बैंक लोन दिलवाये। उपासक को व्यक्तिगत लोन का सुगमीकरण करना होगा क्योंकि समूह का लोन तकनीकी एजेंसियों का दायित्व है। वित्त संबंधी कार्यों में उपासक के हस्तक्षेप रणनीतिपरक होने चाहिये जिनका उद्देश्य भागीदारी निर्माण तथा उत्पाद विकास होना चाहिये। आजीविका वित्त के लिये उपासक पर पूरी तरह से निर्भर न रहकर इस कार्य के लिये अन्य बैंकों तथा नाबार्ड सहित अन्य वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

यद्यपि परियोजना के कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, फिर भी मिशन का मानना है कि परियोजना अभी एट रिस्क श्रेणी में आती है, हालांकि इसकी समीक्षा आगामी 6 माह में की जा सकती है। कुल मिलाकर यदि परियोजना के कार्य निष्पादन में सुधार आता है तो परियोजना को एट रिस्क श्रेणी में न रखे जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा जा सकता है। परियोजना के नियोजन के समय से रूपये के अवमूल्यन और पहले तीन वर्षों के न्यून स्तर के खर्च को देखते हुये ILSP द्वारा शायद ही ऋण की पूरी धनराशि का उपयोग किया जा सके। अगले वर्ष एक मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव है जिसके दौरान IFAD के ऋण को निरस्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति भेजी जा सकती है। IFAD का ऋण अभी परियोजना की आवश्यकताओं के हिसाब से काफी बड़ी धनराशि है। वैकल्पिक रूप से घटक-1 और 2 का उच्चीकरण/उन्नयन (scaling up) किया जा सकता है जिसमें परियोजना के कुछ विकासखंडों, बाजार आधारित हस्तक्षेपों (जैसे दूध के लिये) और अतिरिक्त सूक्ष्म जलाशयों को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक घटक द्वारा ड्राफ्ट योजना और वित्तीय प्रक्षेपणों को बनाया जाना चाहिये और इसकी चर्चा ISM के साथ की जानी चाहिये।

प्रेरणा

सबका साथ सबका विकास को सार्थक करतीं ग्राम प्रधान जुजराली

पिथौरागढ़ (बिण)

जुजराली, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण का एक दूरस्थ ग्राम है। गाँव की आजीविका का मुख्य स्रोत डेयरी एवं कृषि है। जुजराली में नाबार्ड द्वारा गठित समूहों को एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा अंगीकृत किया गया है। गाँव में हुई समूह बैठकों में ज्ञात हुआ कि अजन्ता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रेखा भण्डारी गाँव की एक प्रगतिशील किसान हैं। वह विभिन्न प्रकार की कृषि आधारित गतिविधियों को प्रयोग में लाकर अपने परिवार के आजीविका संर्वधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

गाँव के क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेखा भण्डारी से वार्ता करने एवं उनके खेतों में अभिनव प्रयासों को देखने का अवसर मिला। रेखा जी ने बताया कि उन्होंने नगदी फसल (शिमला मिर्च, फूलगोभी आदि) की खेती को प्रयोग के रूप में प्रारम्भ किया था। जो कि काफी सफल रहा। नगदी फसल से प्राप्त आय एवं लाभों के विषय में उन्होंने समूह बैठकों में महिलाओं को बताया तथा उन्हें भी नगदी फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप जुजराली गाँव, जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ को अधिकांशतः सब्जी की आपूर्ति करने लगा है।

श्रीमती रेखा भण्डारी की प्रगतिशील सोच एवं कार्यों को देखते हुए जनपद के रेखीय विभागों/गैरसरकारी संगठनों में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में होने लगी। परिणामस्वरूप उन्हें जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाने लगा। अपनी लगन एवं कुछ नया करने की जिज्ञासा के कारण ही वह सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों का जागरूक करने लगीं और वे रेखीय विभागों एवं गैरसरकारी संगठनों के अधिकारियों के सम्पर्क में रहने लगीं।

इसी दौरान क्षेत्र में गठित सहकारिता द्वारा समूहों से दुग्ध क्रय एवं उसका मूल्य संर्वधन कर दुग्ध डेयरी के संचालन की जानकारी उन्हें मिली। महिलाओं से चर्चा कर उन्होंने सहकारिता को दूध आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इस कार्य के प्रबन्धन का दायित्व समूह ने रेखा भण्डारी को दिया। इस पहल से गाँव की दुग्ध उत्पादक महिलाओं को ₹22/- प्रति ली० का मूल्य गाँव में ही प्राप्त होने लगा। रेखा भण्डारी अपनी आजीविका वृद्धि के साथ-साथ ग्राम वासियों की भी आजीविका संवर्धन का कार्य करने सफल प्रयास कर रही हैं।

अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए रेखा भण्डारी कहती हैं कि गाँव में एक बार एक बिचौलिये ने मुझे बड़ी इलायची के बदले काले चने दिये। उस समय हमारे पास एक दो इलायची के पौधे थे। शैक्षिक भ्रमण के दौरान मुझे हल्द्वानी जाने को मौका मिला। वहां बाजार में जब मुझे बड़ी इलायची के भाव पता चले तो मुझे बिचौलिये द्वारा अपने साथ किये गये धोखे का अहसास हुआ। उसी समय मैंने अपने स्तर से बड़ी ईलायची का व्यापार करने का निश्चय किया। सबसे पहले अपने इलायची पौधों का विस्तारीकरण करना शुरू किया। आज उनके पास इलायची के पौधों की 30-40 पौध हैं, जिससे वह प्रति वर्ष 50 से 60 कि॰ग्रा॰ ईलाइची का उत्पादन कर रही है और उन्हें प्रति वर्ष ` 30 से 40 हजार की अतिरिक्त आय हो रही है। साथ ही अन्य ग्रामीणों को भी इलाईची की खेती के लिए प्रोत्साहित कर सहयोग दे रही हैं।

श्रीमती रेखा भण्डारी के कार्यों एवं ग्रामीण विकास की सोच की भावना के परिणामस्वरूप ही ग्राम वासियों द्वारा उन्हें 2014 के ग्राम प्रधान चुनावों में विजयी बनाया गया।

श्रीमती रेखा भण्डारी को कृषि विभाग पिथौरागढ़ द्वारा किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें श्रेष्ठ किसान पुरस्कार हेतु भी चयनित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु गुजरात जाने का मौका मिला। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उन्हें ₹51000/- की धनराशि के साथ श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रतीम भट्ट, सहायक प्रबन्धक जेण्डर एवं संस्थाएं,

परियोजना समाचार

प्रेरणा

व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति महिलाओं का बढ़ता रूझान

हवालाबाग, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा मुख्यालय से लगभग 10 किमी की दूरी पर बरशीमी गाँव जो कि विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत आता है। इस गाँव में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की सहयोगी संस्था ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) के कार्यकर्ताओं द्वारा परियोजना के मार्गदर्शन में गाँव स्तर पर भौतिक सर्वे के उपरान्त क्रमशः पांच उत्पादक समूह सूर्या, अंजली, अराधना, गरिमा व एकता का गठन किया गया है जिसमें कुल 49 परिवारों को जोड़ा गया है। इनका मुख्य व्यवसाय पारम्परिक रूप से प्याज की खेती है। प्याज का स्थानीय बाजार अल्मोड़ा, लोधिया, कोसी व सुयालबाड़ी में विपणन किया जाता है।

समूह गठन के उपरान्त संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा परियोजना के मार्गदर्शन में लगातार बैठकें करने, समूह सदस्यों को प्रशिक्षण व शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। संस्था के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समूह सदस्यों को खेत से बाजार तक की जानकारी प्रदान की गई तथा उद्यान विभाग के अनुदान से पेस्टीसाइड व स्प्रे मशीन उपलब्ध कराई गई, जिसके उपयोग के उपरान्त गाँव वालों का कहना है कि इस बार पिछले सालों की तुलना में प्याज के उत्पादन में वृद्धि की काफी संभावना है। परियोजना के संचालन से जहां ग्रामीण महिलाएं संगठित हुई हैं, वहीं वे सब्जी व अन्य नकदी फसलों के उत्पादन व विपणन हेतु एकजुट होकर आगे आ रही हैं। विगत माह परियोजना के समीक्षा दल द्वारा बरशीमी गाँव का भ्रमण किया गया। समीक्षा दल के भ्रमण के दौरान एकता उत्पादक समूह की सदस्या श्रीमती पुष्पा मटेला ने बताया गया कि इस वर्ष परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कुल 75 नाली भूमि में प्याज की खेती की जा रही है जिससे लगभग 225 कुं० प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है। परियोजना तथा संस्था के सहयोग व आजीविका संघ के माध्यम से उत्पादों के विपणन एवं उचित मूल्य प्राप्ति हेतु योजना तैयार की गई है।

बरशीमी गांव के लोगों की जागरूकता व लगन अन्य गाँवों के लिये प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं।

प्रकाश पाठक तकनीकी समन्वयक, पंकज बिष्ट आजीविका समन्वयक, डा० मनोज धौलाखण्डी उद्यान अधिकारी, ग्रास, ILSP हवालबाग, अल्मोड़ा

सीख

महिला कार्यबोझ कमी में सहायक दरांती

डुण्डा, उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा में "विश्वनाथ आजीविका स्वायत्त सहकारिता मातली" का गठन पूर्व परियोजना हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के तहत के सहयोग से किया गया है। विश्वनाथ आजीवका सहकारिता में 318 सदस्य शेयर धारक जुडे है जो निरन्तर सहकारिता विकास में अपना योगदान देकर सहकारिता की सेवाओं का उपयोग कर रहे है। सहकारिता वतंमान में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के साथ विकासखण्ड डुण्डा के 15 ग्रामों में परियोजना गतिविधियों का संचालन कर अपने व्यावसायिक गतिविधियों में स्थानीय उत्पादों का क्रय-विक्रय तथा डेयरी व्यवसाय पर कार्य कर रही है। सहकारिता के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं-

- अत्याधिक महिला कार्य बोझ।
- वर्षा आधारित खेती।
- कृषि तकनीक व उन्नत स्थानीय कृषि यंत्रों का अभाव।

सहकारिता द्वारा क्षेत्र में महिला श्रम न्यूनीकरण के उद्देश्य से पूर्व परियोजना के सहयोग से उन्नत दरांतियों को प्रदर्शन गतिविधियों के रूप में उपलब्ध करवाये गये थे जिसकी उपयोगिता एवं लाभ का आकलन करते

हुए समुदाय से उक्त दरांतियों की मांग आने लगी, फलस्वरूप सहकारिता द्वारा दरांती तैयार करने वाली संस्था कौसानी आश्रम से सीधे सम्पर्क किया और खरीदारी हेतु वार्ता की गई जिसमें पाया गया कि दरांतियाँ अब पूर्व कीमत की तुलना में लगभग दोगुनी कीमत में उपलब्ध है जो कि अब लगभग ₹ 120 में मिल रही है। पूर्व सब्सिडी के साथ यह दरांती ₹ 50 से 60 में उपलब्ध कराई गई थी। सहकारिता ने जोखिम लेते हुए मांग के आधार पर श्रम न्यूनीकरण हेतु दरांतियाँ मंगायी।

दरांतियाँ कार्यक्षेत्र में विस्तारीकरण कार्यक्रम के रूप में सहकारिता द्वारा ₹120 प्रति दरांती उपलब्ध करवाई गई। दरांती के बढ़े हुए मूल्य पर कई प्रकार की टिप्पणियाँ मिली तथा सहकारिता सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं को समुदाय से काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। सहकारिता के निदेशक मंडल द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर के गांव में इन दरांतियों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। जब दूसरे गांवों के लोगों ने दरांतियाँ क्रय कर प्रयोग की गई, तो उन्होंने सहकारिता को इसकी गुणवत्ता के संबंध में अच्छे फीडबैक दिये। सहकारिता द्वारा सभी को पूर्ण मूल्य पर दरांतियाँ बेची गईं।

परिणाम–

- दरांती श्रम न्यूनीकरण की दृष्टि से लाभकारी होने के कारण अन्य क्षेत्रों से इसकी माँग बढ़ने लगी है।
- सहकारिता द्वारा 03 माह में लगभग 400 दरांतियों का परियोजना क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में विपणन किया गया।
- वर्तमान तक सहकारिता ने कुल ₹48,000/- का व्यवसाय किया।

यह गतिविधि सहकारिता के लिए एक मुख्य व्यवसाय के रूप में उभरकर आ रही है। सहकारिता द्वारा स्थानीय स्तर पर दरांतियाँ तैयार करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही विश्वनाथ आजीविका सहकारिता भविष्य में इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर अंगीकृत करने हेतु कार्ययोजना बना रही है

सफल प्रयोग

उत्पादक समूहों द्वारा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की पहल

थराली, चमोली

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में, सहयोगी संस्था एंजेसी श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के प्रारम्भिक चरण में ग्राम स्तर पर बैठकों के क्रम में बुरसोल गाँव में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई।

बुरसोल, थराली विकासखण्ड का एक दूरस्थ और जंगल से सटा हुआ गाँव है। गाँव में 80 परिवार हैं। यहाँ की मुख्य आजीविका खेती एवं पशुपालन पर निर्भर है। अन्य गाँवों की ही तरह यहां भी खेती वर्षा आधारित है।

बुरसोल गाँव की बैठक में, कार्यकर्ताओं द्वारा परियोजना के अन्तर्गत उत्पादक समूह का गठन कर परियोजना के सहयोग से उनकी आजीविका में वृद्धि हेतु गतिविधियों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान गाँव वालों ने बताया कि उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है तथा पारम्परिक रूप से अनाज के साथ ही वे मुख्यतः आलू, चौलाई, राजमा तथा सोयाबीन की खेती करते हैं। ये नकदी फसलें ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन हैं। विगत कुछ वर्षों से जंगली जानवरों द्वारा लगातार फसल को नुकसान पहुँचाये जाने के कारण लोगों का खेती के प्रति रूझान कम हो रहा है, जिसका ग्रामीणों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा धीरे-धीरे पलायन भी बढ़ रहा है। परियोजना गतिविधियों से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए उत्पादक समूह के गठन के दौरान भी यह समस्या उठी। लोगों का कहना था कि जब उनकी फसलों को जंगली जानवर नुकसान पहुँचा रहे हैं तो मेहनत करने से क्या फायदा होगा?

इसके उपरान्त परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव का सर्वे कर जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान का आकलन किया गया। इस दौरान प्रत्येक परिवार से बातचीत की गई।सर्वे के दौरान पता चला कि पूर्व में गाँव की अपनी फसल सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत चौकीदारी के बदले उस व्यक्ति को फसल उत्पादन के अंत में प्रत्येक परिवार से निर्धारित फसल उत्पाद दिया जाता था। वर्तमान में चौकीदार की फसल उत्पाद के भाग के बजाय नगद मानदेय की मांग पर कोई तैयार नहीं हुआ। इसलिए यह प्रथा बंद हो गई है। सर्वे व बातचीत से यह बात सामने आई कि परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन करना है तो जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा की समस्या पर सर्वप्रथम कार्य करना होगा।

सर्वे के उपरान्त ग्राम प्रधान श्री रणजीत सिंह झिंक्वाण की अध्यक्षता ग्राम

परियोजना समाचार

सभा की खुली बैठक बुलाई गई। बैठक में परियोजना द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं परियोजना सहयोग की जानकारी दी गई। साथ ही जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाये जाने वाले नुकसान के आंकड़ों तथा उसके सापेक्ष चौकीदारी हेतु दी जाने वाली धनराशि की तुलनात्मक जानकारी भी दी गई, जिससे यह बात सामने आई कि जानवरों द्वारा वर्ष में प्रति परिवार औसतन जो नुकसान किया जाता है वह चौकीदारी के लिए दी जाने वाली धनराशि से काफी कम है।

साथ ही परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना के साथ उत्पादक समूह के रूप में जुड़ने पर प्राप्त होने वाली सहयोग धनराशि के एक भाग का उपयोग संबंधित फसल की चौकीदारी हेतु भी कर सकते हैं तथा फसल उत्पाद विपणन के पश्चात इस धनराशि को अगले फसलचक्र में उपयोग हेतु वापस समूह में जमा किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस पर सबकी सहमति बनी। बैठक में चौकीदार चयन का निर्णय लिया गया जिन्हें वार्षिक मानदेय प्रति परिवार ₹1000 की दर से दोनों चौकीदारों को कुल ₹ 80,000/ का भुगतान किया जायेगा। यह धनराशि दो किश्तों में दी जायेगी प्रथम किश्त 50% उनके द्वारा कार्य आरम्भ करने के तीन माह बाद दी जायेगी एवं द्वितीय किश्त का भुगतान सुरक्षित उत्पादन एवं विपणन होने के पश्चात किया जायेगा। चौकीदार के रूप में श्री हुकम सिंह फरस्वाण एवं श्री हरपाल सिंह नेगी का चयन किया गया। साथ ही चौकीदरों के कार्यों की निगरानी हेतु एक आलू सुरक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें समुदाय के वर्ग एवं तोकों को मद्देनजर रखते हुये 10 लोगों का चयन किया गया। समिति का मुख्य कार्य परिवारों से धनराशि एकत्रित करना एवं चौकीदारी के लिए रखे गये व्यक्तियों के कार्यों की नियमित समीक्षा कर उनको भुगतान करना व समुदाय को अवगत करना होगा।

बुरसाल गाँव में 7 उत्पादक समूहों का गठन किया गया जिनकी मुख्य गतिविधि आलू उत्पादन है। समूहों से प्राप्त गतिविधि प्रस्तावों की जांच के पश्चात परियोजना द्वारा ₹1,90,800/- का सहयोग किया गया। उत्पादक समूहों द्वारा स्वयं का अंशदान मिलाकर लगभग ₹2.5/- लाख का आलू बीज क्रय किया गया। तकनीकी सहयोगी संस्था के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में बीज उपचार तथा बुआई तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया।

इस प्रकार परियोजना के हस्तक्षेप तथा मार्गदर्शन से समुदाय द्वारा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की गई। आलू सुरक्षा समिति द्वारा कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात चौकीदारों को प्रथम किश्त का भुगतान भी किया जा चुका है।

सफलता

सपनों को साकार करती परियोजना

चम्बा, टिहरी गढ़वाल

चम्बा के ग्वाड गाँव में 75 परिवार अनुसूचित जाति के हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मजदूरी एवं बकरी पालन है। अप्रैल 2015 में परियोजना की सहयोगी संस्था एप्रोप्रियेट टेक्नोलॉजी इंडिया (ATI) के कार्यकर्ताओं ने गाँव में एक आम बैठक का आयोजन कर ग्रामीणों को परियोजना, समूह गठन एवं समूहों से होने वाले लाभ बारे में जानकारी दी। इसके उपरान्त लोगों ने बकरी पालन करने का निर्णय लिया। इसके लिए तीन उत्पादक समूहों- नरसिंह, सुरसिंह एवं राजराजेश्वरी का गठन किया गया। समूहों के बैंक खाते खुलने के पश्चात तीनों समूहों को

निर्धारित गतिविधियों हेतु परियोजना द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। समूह सदस्यों ने स्वयं का अंशदान भी गतिविधि में निवेश किया।

विमला देवी सुरसिंग असहाय उत्पादक समूह की सदस्य हैं। इनके पति का मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। अनियमित तौर पर मिलने वाले काम के चलते परिवार की सामान्य आवश्यकताएं भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। विमला देवी के दो पुत्र हैं। घर के हालात के चलते बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई छोड़, मजदूरी करता है। परिवार की आय में थोड़ी मदद के लिए विमला देवी ने दो बकरियां पाली हैं। बेचने लायक होने तक बकरी को लगभग 10-12 माह तक पालना पड़ता है। इसलिए वह चाहती थीं कि और बकरियाँ पाले ताकि उन्हें हर माह नियमित आय होती रहे, परंतु उनके पास धन की कमी के कारण वह अधिक बकरियाँ नहीं पाल पा रही थी।

विमला देवी ने परियोजना सहयोग के साथ ही अपनी अंशपूंजी लगाकर 3 बकरियां खरीदी। अब विमला देवी के चेहरे पर कुछ आर्थिक सुरक्षा मिलने के भाव को स्पष्ट तौर पर पढ़ा जा सकता है। हालांकि विमला देवी के लिए इस गतिविधि के परिणाम आना अभी शेष हैं, परंतु वह भविष्य के प्रति अब आशंकित नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि एक वयस्क बकरी से उन्हें कम से कम ₹5 6 हजार तक प्राप्त हो जाएंगे। विमला देवी भविष्य में बकरियों की संख्या को और भी बढ़ाना चाहती हैं।

विमला देवी उत्पादक समूह की सक्रिय सदस्य है। उनकी सक्रियता के कारण ही उन्हें आजीविका संघ के लिए भी नामांकित किया गया है।

औषधीय एवं सगंध पौध के बीज एवं रोपण सामग्री

औषधीय एवं सगंध पौधों के निम्न बीज/रोपण सामग्री औषधीय पौध अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, पंतनगर में उपलब्ध हैं।

- मीठी तुलसी
- कालमेघ
- सतावर
- जल ब्राह्मी
- मण्डूक पर्णी
- खस
- लेमनग्रास
- सिट्रेनोला
- पामारोजा
- सर्पगन्धा
- एलोवेरा
- पचौली
- जंगली भिण्डी
- जेट्रोफा
- सोआ
- अर्जुन इत्यादि

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र-

संयुक्त निदेशक
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर, जनपद ऊधमसिंह नगर
फोन-05944-234120

सफलता

समुदाय की पहल से खुली सफलता की राह

जौनपुर, टिहरी गढ़वाल

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखण्ड के खनेरी गाँव, सड़क मार्ग से लगभग 06 किमी पैदल दूरी पर है। दुर्भाग्य से इस गाँव में पूर्व में किसी भी परियोजना/संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में वहाँ पर एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना ने अपनी सहयोगी संस्था सीबेड के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया है। सर्वप्रथम ग्रामीणों से कई दौर की चर्चाएं करने के उपरान्त 'सुरेश्वरी' नाम से एक उत्पादक समूह का गठन किया गया। परियोजना नियमों के अनुसार समूह गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम प्रधान से अनापत्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। समूह के सदस्यों ने पहल कर इस जिम्मेदारी का वहन करने का निर्णय लिया। समूह सदस्यों ने कार्यदायी संस्था को आश्वस्त किया कि वे अपने प्रधान जी से स्वयं सहमति प्राप्त कर अनापत्ती प्रमाण-पत्र लेगें।

सुरेश्वरी उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान से स्वयं सम्पर्क कर परियोजना कार्यों हेतु अनापत्ती प्रमाणपत्र देने के संबंध में चर्चा की गई। समूह सदस्यों ने परियोजना से ग्राम को होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया। प्रधान जी समूह सदस्यों से बहुत प्रभावित हुए और संस्था को गाँव में कार्य करने की सहमति प्रदान की। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में दो और उत्पादक समूहों का गठन कराया जा चुका है। साथ ही ग्राम प्रधान, ग्रामवासियों के साथ मिलकर अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार के उत्पादक समूहों का गठन हो इसके लिए अन्य ग्रामवासियों को भी प्रेरित कर रहे हैं।

परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

'सहकारिता से हो सकती है सबकी प्रगति'

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के घटक-1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस घटक के अन्तर्गत राज्य के आठ जनपदों में की जा रही गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

1 खाद्य सुरक्षा एवं विस्तार

- फैडरेशनों से 34,827 शेयर धारक जुड़े हैं जिनमें से 90% महिलाएं हैं।
- 72 फैडरेशनों ने विपणन से ₹14.14/-करोड़ का टर्नओवर किया तथा ₹0.99 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।
- 17 नये विकासखण्डों के 823 ग्रामों में 2389 उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है जिनसे 21304 सदस्य जुड़े हैं। कुल 1345 उत्पादक समूहों के 15377 सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹5.39/- करोड़ का वित्तीय सहयोग परियोजना द्वारा किया गया है।
- विकासखण्ड स्तर पर 07 तकनीकी एंजेसियों द्वारा परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- परियोजना के वित्तीय सहयोग से कृषि विभाग द्वारा कृषि बीज (मिनी किट) तथा उद्यान विभाग द्वारा औद्यानिकी बीज (मिनी किट) का निःशुल्क वितरण कार्य प्रदेश के 11 जनपदों में किया जा रहा है।
- प्रदेश में उत्तराखण्ड के कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव कार्यक्रम में समस्त फैडरेशनों द्वारा सहभागिता निभाई गई जिसके परिणाम स्वरूप किसानों द्वारा कृषि महोत्सव के दौरान विभिन्न जानकारियाँ एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त की गई।

2 विपणन/बजार पहुँच

- फैडरेशन, विभिन्न वैल्यूचेन आधारित उत्पादों का विपणन कर रहे हैं वर्तमान तक 73 फैडरेशनों द्वारा किये गये विपणन का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वेल्यूचेन	कुल विपणन(₹ में)
1	परम्परागत फसल उत्पादन	₹ 510.99 लाख
2	बेमौसमी सब्जी उत्पादन	₹ 204 लाख
3	उद्यानिकी	₹ 20.52 लाख
4	औषधीय एवं सगंध पौध	₹ 8.01 लाख
5	डेयरी	₹ 99.29 लाख
6	मुर्गीपालन	₹ 21.50 लाख
7	ईकोटूरिज्म	₹ 287.55 लाख
8	गैरकृषि क्षेत्र	₹ 397.11 लाख

- वर्ष 2014-15 में 01 संग्रहण केन्द्र (Collection Center) की स्थापना जनपद अल्मोड़ा में की जा चुकी है। इस प्रकार के 30 संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है।
- डेयरी एवं सब्जी उत्पादन हेतु तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी हेतु किसानों के शैक्षिक भ्रमण करवाये गये।
- औषधीय एवं सगंध पौध उत्पादन हेतु विपणन संस्थानों के साथ अनुबंध खेती हेतु प्रयास किये गये।

3 अभिनव कार्यों में पहल

- राष्ट्रीय मुधमक्खी बोर्ड के सहयोग से परियोजना क्षेत्र के मौनपालक एवं मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता विकास तथा वेल्यूएडिशन का कार्य आरम्भ किया गया।
- भेड़ एवं ऊन विकास परिषद के समन्वयन से भेड़ों की स्वास्थ्य जांच, दवापान, क्रेता-विक्रेता बैठक हेतु 15 शिविरों का आयोजन किया गया।
- उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से पशुनस्ल सुधार व प्राथमिक चिकित्सा हेतु 64 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।।

4 रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण

- परियोजना क्षेत्र के युवक/युवतियों को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 6 संस्थानों के माध्यम से 11 ट्रेडों में 694 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नामांकित किया गया जिनमें से 619 युवक/युवतियों के प्रशिक्षण पूर्ण हो गये हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त 445 युवक/युवतियों (65% युवतियाँ) को रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। रोजगार प्रस्ताव मिलने के उपरान्त 225 युवक/युवतियां(65% युवतियां) विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं।

गतिविधि

परियोजना क्षेत्र में आजीविका संघ का गठन

आजीविका संवर्द्धन की प्रक्रिया में परियोजना का एक मुख्य कार्य आजीविका संघ (Livelihood collective-LC) का गठन करना भी है। आजीविका संघों का गठन 55 से 60 उत्पादक समूहों के ऊपर क्लस्टर स्तर पर किया जा रहा है। आजीविका संघों द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्य किये जाने हैं-

- उत्पादक समूहों को संगठित एवं सशक्त करना।
- अपने सदस्यों/शेयर होल्डरों का क्षमता विकास करना।
- सदस्यों के लिए विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी विभागों से समन्वय कर संसाधन जुटाना।
- सदस्यों की आवश्यकतानुसार कृषि इनपुट, कृषि उपकरण/मशीनरी एवं उपभोग सामग्री तथा परिवहन, सिंचाई, अन्य सुविधाओं की आपूर्ति करना।
- समूह सदस्यों की कृषि उपज के बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज का कार्य करना।
- कृषि व्यवसाय को बढ़ाना तथा उत्पाद को संग्रहित कर विपणन करना।
- सदस्यों के बीच बचत को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ावा देना।
- संग्रहण केन्द्र स्थापित कर उत्पादक समूहों/सदस्यों को इनपुट आपूर्ति एवं उत्पाद विपणन हेतु बाजार लिंक स्थापित करना।
- प्रतिवर्ष आजीविका संगठन के लाभ के एक हिस्से को लाभांश के रूप में सदस्यों में वितरित करना।

परियोजना क्षेत्र में वर्तमान तक कुल 29 आजीविका संघों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से कुल 04 आजीविका संघ पंजीकृत किये जा चुके हैं। आजीविका संघों को उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत पंजीकृत कराया जा रहा है। पंजीकृत आजीविका संघों का विवरण निम्न प्रकार से है-

थराली, चमोली

जनपद चमोली के थराली विकासखण्ड में दो आजीविका संघ (LC) **"सोल डुंग्री आजीविका स्वायत्त सहकारिता"** एवं **"ब्रह्मताल आजीविका स्वायत्त सहकारिता"** का गठन किया गया है।

सोल डुंग्री आजीविका स्वायत्त सहकारिता में 44 उत्पादक/ असहाय उत्पादक समूहों के 350 सदस्य सम्मिलित हुए हैं। सोल डुंग्री आजीविका स्वायत्त सहकारिता के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	निदेशक मंडल सदस्यों के नाम	गाँव का नाम
1	अध्यक्ष- श्रीमती माहेश्वरी देवी	बूंगा
2	सचिव- श्रीमती उषा देवी	मेन
3	कोषाध्यक्ष- श्रीमती संजू देवी	रूइंसाण
4	सदस्य- श्रीमती कविता देवी	रूईसाण
5	सदस्य- श्रीमती प्रमिला देवी	केरा
6	सदस्य- श्रीमती कमला देवी	डुंग्री
7	सदस्य- श्रीमती सावित्री देवी	डुंग्री
8	सदस्य- श्रीमती गीता देवी	रूइंसाण
9	सदस्य- श्रीमती जशोदा देवी	बूंगा

"ब्रह्मताल आजीविका स्वायत्त सहकारिता" में कुल 54 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों को सदस्य रूप में जोड़ा गया है, जिनसे कुल 327 सदस्य जुडें हैं। ब्रह्मताल स्वायत्त सहकारिता के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	निदेशक मंडल सदस्यों के नाम	गाँव का नाम
1	अध्यक्ष- श्रीमती चन्द्रकला देवी	गरूड़
2	सचिव- श्रीमती रेखा देवी	रतगांव
3	कोषाध्यक्ष- श्री भवान सिंह	बुरसोल
4	सदस्य- श्रीमती अंशी देवी	कोलपुड़ी
5	सदस्य- श्रीमती दमवंती देवी	कोलपुड़ी
6	सदस्य- श्रीमती सावित्री देवी	बुरसोल
7	सदस्य- श्रीमती हेमा देवी	गरूड़
8	सदस्य- श्रीमती शकुंतला देवी	गरूड़
9	सदस्य- श्रीमती तारा देवी	कुराड़

परियोजना समाचार

अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग

रूद्रप्रयाग जनपद के विकासखण्ड अगस्तमुनि में **"नगेला देवता आजीविका स्वायत्त सहकारिता"** नाम से आजीविका संघ का गठन किया जा चुका है। नगेला देवता आजीविका स्वायत्त सहकारिता में कुल 36 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह सदस्य बने हैं, जिनसे लगभग 300 सदस्य जुड़े हैं। नगेला देवता आजीविका सहकारिता के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण इस प्रकार से है-

क्र.सं.	निदेशक मंडल के सदस्यों का नाम	गाँव का नाम
1	अध्यक्ष- श्रीमती शिवदेई	गोर्ती
2	सचिव- श्रीमती कमला देवी	पालाकुराली
3	कोषाध्यक्ष- श्रीमती आशा देवी	उच्छना
4	सदस्य- श्रीमती दीपा देवी	उरोली
5	सदस्य- श्रीमती पुष्पा देवी	त्यूंखर
6	सदस्य- श्रीमती सुलोचना देवी	त्यूंखर
7	सदस्य- श्रीमती नारायणी देवी	रूद्रप्रयाग
8	सदस्य- श्रीमती अनुसुइया देवी	लुठियाग
9	सदस्य- श्रीमती कृष्णा देवी	इजरा

चौखुटिया, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा जनपद के विकासखण्ड चौखुटिया में एक आजीविका संघ (LC) का गठन **"माँ दूणागिरि आजीविका स्वायत्त सहकारिता"** नाम किया जा चुका है। माँ दूणागिरि आजीविका सहकारिता में कुल 41 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह सदस्य बने हैं, जिनसे लगभग 398 सदस्य जुड़े हैं। माँ दूणागिरि आजीविका स्वायत्त सहकारिता के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम	गाँव का नाम
1	अध्यक्ष- श्रीमती आशा देवी	मेहलचौरा
2	सचिव- श्रीमती पार्वती देवी	वड़ेती, पिनबगड़
3	कोषाध्यक्ष- श्रीमती हेमा देवी	छन्ना
4	सदस्य- श्रीमती मीरा भण्डारी	मेहलचौरा
5	सदस्य- श्रीमती शान्ति देवी	उलेडी, चितलीघर
6	सदस्य- श्रीमती कमला देवी	नौगांव, अखोरिया
7	सदस्य- श्रीमती लीला देवी	नौगांव, अखोरिया
8	सदस्य- श्रीमती गंगा देवी	सिरोली
9	सदस्य- श्रीमती गीता जोशी	बमनगाँव

गतिविधि

कटारमल में बकरियों का स्वास्थ्य शिविर

हवालाबाग, अल्मोड़ा

दिनांक 06 मई 2015 को प्रभागीय प्रबंधन इकाई अल्मोड़ा एवं सहयोगी संस्था ग्रास द्वारा विकासखण्ड हवालबाग के कटारमल गाँव में पशुपालन विभाग, अल्मोड़ा के सहयोग से बकरियों के लिये एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिससे उत्पादक और असहाय उत्पादक समूहों के 55 परिवार लाभान्वित हुवे। बकरीपालकों को बकरियों की देखरेख संबंधी समस्त जानकारियाँ दी गई। शिविर में 180 बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा उनको पोषक आहार भी वितरित किया गया।

शिविर मिली जानकारियों से प्रोत्साहित समूहों सदस्य अब व्यावसायिक स्तर पर उन्नत नस्ल की बकरियों का पालन करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही बकरियों हेतु बकरी वन की स्थापना परियोजना के सहयोग से करने की योजना बना रहे हैं, जिससे वहां पर बकरियों के चरान की सुविधा हो सके तथा बकरियों के चरान से होने वाली कृषि एवं सब्जी उत्पादन की हानि से सुरक्षा मिल सके।

गतिविधि

अगस्त्यमुनि ब्लॉक स्तरीय बैठक

अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग

4 मार्च 2015 को अगस्त्यमुनी ब्लॉक में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के परिचय हेतु ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन माननीय संसदीय सचिव व क्षैत्रीय विधायक श्रीमती शैलारानी रावत जी अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक क्षेत्र ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं परियोजना तथा तकनीकी संस्था ग्रास के स्टाफ की उपस्थिति रही।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधक श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी द्वारा परियोजना के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य व घटकों पर विस्तृत जानकारी दी गई जैसे उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों के गठन की प्रक्रिया, परियोजना अंश व समूह सदस्य के अंश को कैसे उत्पादन वाली गतिविधि में खर्च किया जाए।

श्री विक्रम कण्डारी, ग्राम प्रधान ने उपस्थित ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों व मंचासीन सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया तथा उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि परियोजना का उद्देश्य हम सभी की आय-अर्जक गतिविधियों को बढ़ाना है जो कि खेती-किसानी से ही सम्भव है। परियोजना द्वारा जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में संचालित किए जाएं उसमें आप सभी अपनी भागीदारी दें जिससे कि नई तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो और हम अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें।

माननीय संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शैलारानी रावत जी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनन्दन किया गया तथा परियोजना के उद्देश्यों को सराहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि किसी भी रेखीय विभाग की आवश्यकता परियोजना कार्यों को पूरा करने हेतु पड़ेगी तो उन्हें भी परियोजना के सफल सचालन में अपनी भीगीदारी सुनिश्चित करने हेतु कहा जायेगा।

गतिविधि

जौनसार भाबर क्षेत्र में परियोजना की शुरूआत

कालसी-चकराता, देहरादून

विकासखण्ड कालसी एवं चकराता के गाँवों में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना घटक-1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा सहयोगी संस्था हार्क के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में परियोजना द्वारा कालसी एवं चकराता में कृषकों के 212 उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है।

क्षेत्र में गठित उत्पादक समूहों द्वार मुर्गी पालन, डेयरी, मटर, टमाटर, मिर्च, अरबी, पत्तागोभी, फूलगोभी, अदरक एवं सेब उत्पादन गतिविधियां चिन्हित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इन गतिविधियों हेतु 212 उत्पादक समूहों के 2090 सदस्यों को परियोजना द्वारा ₹62.71 लाख का वित्तीय सहयोग दिया गया है। गतिविधियों के अनुसार लाभान्वित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	गतिविधि से जुड़े परिवारों की संख्या
1	मुर्गीपालन	68
2	डेयरी	80
3	अदरक उत्पादन	410
4	मटर उत्पादन	458
5	टमाटर उत्पादन	278
6	मिर्च उत्पादन	212
7	अरबी उत्पादन	241
8	सेब उत्पादन	75
9	पत्ता गोभी उत्पादन	50
10	फूल गोभी उत्पादन	08
11	आलू उत्पादन	104
12	राजमा उत्पादन	106

गतिविधि

अवसर की पहचान

गरूड़, बागेश्वर

परियोजना द्वारा समूहों के साथ विभिन्न गतिविधियाँ जैसे- अदरक, हल्दी उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन एवं मुर्गीपालन आदि संचालित की जा रही है। कनसयारी, लौबाज एवं गढ़सेर गाँव के 6 उत्पादक समूहों के 45 सदस्यों ने मुर्गीपालन के प्रति रूचि दिखायी।

समूह के अधिकतर सदस्य पहली बार मुर्गीपालन कर रहे थे, इसलिए इस पूरी मूल्य श्रृंखला को कारगर रूप में संचालित करना चुनौती थी। अतः परियोजना द्वारा सहयोगी संस्था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के माध्यम से तीनों गाँवों के समूहों की एक बैठक की गयी। बैठक में कनस्यारी के ग्राम प्रधान श्री जगदीश कुमार तथा कमस्यार घाटी स्वायत्त सहकारिता, खातीगांव के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम चक्र में लाभार्थी को 21 दिनी चूजा दिया जायेगा। बैठक में मुर्गीपालन संबंधी तकनीकी जानकारियाँ भी दी गई। ग्राम प्रधान जगदीश कुमार क्षेत्र में मुर्गीपालन गतिविधि को प्रोत्साहित एवं संचालित करने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मुर्गीपालन गतिविधि हेतु चूजे, दवाईयां, दाना आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कमस्यार घाटी सहकारिता को दी गई।

मई 2015 के तृतीय सप्ताह में कमस्यार घाटी सहकारिता ने कनस्यारी, लौबाज एवं गढ़सेर के 6 समूहों के 45 सदस्यों को 660 चूजों का वितरण किया। इस गतिविधि के 99% लाभार्थी अनुसूचित जाति परिवारों के हैं।

गतिविधि प्रारम्भिक अवस्था में है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। सहयोगी संस्था एवं परियोजना के सामने अब लक्ष्य है कि मुर्गीपालन को व्यावसायिक रूप में क्रियान्वित करने हेतु समूहों को प्रेरित किया जाए, इसके अतिरिक्त यदि असहाय समूह प्रथम चक्र में अच्छा कार्य करते हैं तो उनको परियोजना के माध्यम से दी जाने वाली सीड कैपिटल के माध्यम से 500 चूजों की मदर यूनिट लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही समूह सदस्यों में उस उद्यमीता की सोच का विकास किया जाये, जिससे मुर्गी पालन व्यवसाय उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत बन सकें।

गतिविधि

अभिसरण की पहल
रिलायंस फाउंडेशन के साथ व्यापार

नारायणबगड़, चमोली

हरिकुल कृषि विपणन स्वायत्त सहकारिता, विकासखण्ड नारायणबगड़ क्षेत्र के हरमनी क्लस्टर में, समूहों के साथ मिलकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका संवर्धन की व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। इनमें मुख्यतः सामूहिक संग्रहण, इनपुट-आउटपुट सेंटर, मसाला व्यवसाय, कृषि उपकरण, टेक होम राशन आदि हैं। सहकारिता का वित्तीय वर्ष 2014-15 में, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से टर्नओवर ₹17.25 लाख रहा, जिसमें सहकारिता ने ₹1.31 लाख का लाभ अर्जित किया। सहकारिता अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से निरन्तर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है।

रिलायंस फाउंडेशन जनपद रूद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आजीविका सुधार हेतु कार्य कर रहा है। सहकारिता द्वारा रिलायंस फाउन्डेशन के साथ संपर्क बैठक की गई। इसके पश्चात सहकारिता के क्षेत्र में रिलायंस फाउन्डेशन के क्षेत्र से ग्रामीणों का एक दल शैक्षणिक भ्रमण पर आया। सहकारिता द्वारा भ्रमण दल को अपने विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्यों तथा अभिनव प्रयासों से रूबरू कराया गया। भ्रमण के दौरान सहकारिता द्वारा समूह सदस्यों को उपलब्ध कराये जा रहे श्रमभार न्यूनीकरण के उपकरण, उन्नत कृषि यंत्र तथा उनके प्रभावों को देखा गया।

इसके पश्चात रिलांयस फाउन्डेशन ने रूद्रप्रयाग में श्रमभार न्यूनीकरण के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहकारिता से सम्पर्क किया। दोनों संस्थाओं द्वारा व्यापार पर एक सहमति बनाते हुए अनुबंध किया गया, जिसके पश्चात सहकारिता द्वारा श्रमभार न्यूनीकरण के उपकरणों की आपूर्ति की गई। इस गतिविधि के माध्यम से सहकारिता ने कुल ₹1.14/- लाख का व्यवसाय तथा ₹7/- हजार का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

इस गतिविधि से जहाँ सहकारिता के व्यवसाय में वृद्धि हुई, वहीं सहकारिता में क्षेत्र से बाहर के सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों के साथ अभिसरण करने की सोच विकसित हुई है, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक संबंध स्थापित हो रहा तथा सहकारिता के प्रयासों से लोग परिचित हो रहे हैं।

मार्ग निर्देशन

समूहों को प्रदान की जाने वाली सहयोग धनराशि के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश

उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों को गतिविधि क्रियान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली सहयोग धनराशि का उपयोग कैसे किया जाये, इस सम्बन्ध में परियोजना द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जो इस प्रकार हैं-

क. प्रथम वर्ष में जारी की जाने वाली सहयोग धनराशि

1- सहयोगी संस्था के सहयोग से प्रत्येक उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह की खाद्य सुरक्षा वृद्धि योजना (FSIP) बनायी जायेगी। FSIP के क्रियान्वयन हेतु प्रभागीय कार्यालय तथा संबंधित उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

2- अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त प्रत्येक सदस्य, समूह में ₹400/- का अंशदान जमा करेगा तथा परियोजना प्रति सदस्य ₹3,600/- की दर से प्रथम वर्ष की सहयोग धनराशि उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह को प्रदान करेगी।

3- परियोजना द्वारा दी जाने वाली धनराशि को उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह एक चक्रीय कोष के रूप मे उपयोग करेगा।

4- उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह, प्रत्येक सदस्य को खाद्य सुरक्षा वृद्धि योजना के अनुसार एकमुश्त अथवा किश्तों में सदस्य की आवश्यकतानुसार कुल ₹ 4,000/ की धनराशि उसके बैंक खाते में इस शर्त के साथ जारी करेगा कि सदस्य धनराशि की वापसी अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर एकमुश्त अथवा किश्तों में करेगा। एक वर्ष के अन्दर भुगतान न करने पर समूह सदस्य से सांकेतिक ब्याज (जिसकी दर समूह तथा सदस्यों के बीच तय होगी) प्राप्त करने का अधिकारी होगा। दैविक आपदा अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा की दशा में, धनराशि वापसी की एक वर्ष की अवधि की शर्त को परियोजना निदेशक की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

5- धनराशि वापसी के उपरान्त इसी प्रकार द्वितीय फसल चक्र/द्वितीय वर्ष हेतु सदस्य उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह से अग्रिम धनराशि ₹ 4,000/- एकमुश्त या किश्तों में आवश्यकतानुसार पुनः प्राप्त कर सकता है। यह क्रम चलता रहेगा तथा समूह सदस्यों को समय-समय पर खाद्य सुरक्षा वृद्धि योजना हेतु धनराशि उपलब्ध होती रहेगी।

ख. द्वितीय वर्ष में जारी की जाने वाली सहयोग धनराशि

1- द्वितीय वर्ष की सहयोग धनराशि हेतु उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह के सदस्य को आजीविका संघ (Livelihood Collective) का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

2- सदस्य बनने के लिये उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह अपने सदस्यों से प्रति सदस्य ₹ 400/- अंशदान के रूप में प्राप्त करेगा तथा उक्त धनराशि को सदस्यों की सूची सहित, बैंक के माध्यम से आजीविका संघ (LC) को देगा।

3- आजीविका संघ उक्त धनराशि प्राप्त होने की सूचना संबंधित प्रभागीय परियोजना कार्यालय को देगा, जिसके आधार पर परियोजना प्रति सदस्य ₹ 3,600/- की धनराशि सदस्य की अंशपूंजी के रूप में आजीविका संघ को जारी करेगा, जिसके फलस्वरूप सदस्य आजीविका संघ के शेयर धारक तथा लाभांश के भागीदार होंगे।

4- आजीविका संघ, उत्पादक समूह सदस्यों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट्स खरीदने और पुनः इनको उत्पादक समूहों को बेचने एवं समूह सदस्यों के कृषि उपज के बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज आदि का कार्य करेंगे।

5- यदि कोई सदस्य पहली किश्त ₹1000 (परियोजना सहयोग व लाभार्थी अंशदान) उत्पादक/ असहाय उत्पादक समूह को तय सीमा के भीतर वापस नहीं करता है, तो समूह की सूचना पर आजीविका संघ उक्त धनराशि की कटौती ऐसे सदस्य को दिये जाने वाले लाभांश से कर उक्त धनराशि को उत्पादक समूह को देगा।

ग. असहाय समूहों को सीड कैपीटल पूंजी प्रदान करने हेतु-

1- यह असहाय उत्पादक समूह को दी जाने वाली अतिरिक्त सहयोग धनराशि है।

2- प्रथम वर्ष में प्रत्येक असहाय समूह को प्रति सदस्य ₹ 800/- की दर से सीड कैपिटल हेतु धनराशि दी जायेगी। जिसको समूह द्वारा चक्रीय कोष के रूप में उपयोग किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग असहाय समूह सदस्य आजीविका संवर्धन गतिविधियों के लिये खाद्य सुरक्षा सुधार योजना (FSIP) के अनुरूप करेंगे।

3- इस धनराशि के उपयोग की प्रक्रिया उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह की सहयोग धनराशि की भांति होगी। प्रथम वर्ष में जारी की गयी धनराशि को सदस्यों द्वारा समूह में वापस करने के उपरान्त द्वितीय वर्ष में पुनः सीड कैपिटल की दूसरी किश्त असहाय समूह को प्रति सदस्य ₹800/- की दर से जारी की जायेगी। इस धनराशि को भी समूह द्वारा चक्रीय कोष के रूप में उपयोग किया जायेगा।

उक्त सभी दिशानिर्देशों का समावेश उत्पादक/असहाय उत्पादक समूह एवं परियोजना के मध्य होने वाले अनुबन्ध में किया जायेगा। समूह सदस्यों के लिये वर्णित आवश्यक दिशानिर्देशों का समावेश समूह सदस्यों के बीच आपसी समझ से किया जायेगा।

घ. उक्त दिशा निर्देशों से पूर्व में जारी की गयी धनराशि के संबंध में दिशा निर्देश -

पूर्व में जारी की गयी धनराशि के संबध में दिशानिर्देश निम्न प्रकार हैं-

जारी की गयी प्रथम सहयोग धनराशि-

सहयोगी संस्था एवं उत्पादक समूहों से वार्ता कर उत्पादक समूह द्वारा सदस्यों को दी गयी धनराशि को उत्पादक समूह के खातों में चक्रीय कोष के रूप में वापस जमा करना सुनिश्चित करना होगा।

जारी की गयी द्वितीय सहयोग धनराशि-

सहयोगी संस्था एवं उत्पादक समूहों से वार्ता कर उत्पादक समूह द्वारा सदस्यों को दी गयी धनराशि को आजीविका संगठन के अस्तित्व में आने से पूर्व ही उत्पादक समूह के खातों में जमा करना एवं आजीविका संगठन के अस्तित्व में आने के उपरान्त उक्त धनराशि को उत्पादक समूह के माध्यम से आजीविका संगठन को सदस्यों की अंशपूंजी के रूप में देना सुनिश्चित करना होगा।

आख्या

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के घटक–1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि का वार्षिक आउटकम सर्वे

IFAD की मूल्यांकन नीति के अतर्गत IFAD द्वारा सहायतित परियोजनाओं को प्रतिवर्ष वार्षिक आउटकम सर्वे करवाया जाता है ताकि परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन तथा मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके।

परियोजना द्वारा इस वर्ष भी द्वितीय वार्षिक आउटकम सर्वे करवाया गया। वार्षिक आउटकम सर्वे 2014 को UGVS-ILSP द्वारा परियोजना के सभी 8 जनपदों में करवाया गया।

वार्षिक आउटकम सर्वे का मुख्य उद्देश्य परियोजना के कार्यकाल में परियोजना क्षेत्र के परिवारों की आजीविका के स्तर और खाद्य सुरक्षा में आये बदलावों की पड़ताल करना, परियोजना की सफलताओं तथा असफलताओं का मूल्यांकन करना तथा इसमें सुधार लाने के लिये ससमय आवश्यक कदम उठाना है।

यह सर्वे परियोजना के हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप परियोजना की गतिविधियों में सर्वे किये गये परिवारों के प्रतिभाग, फैडरेशनों की आजीविका संबंधी गतिविधियों में उनके प्रतिभाग, खाद्य सुरक्षा, लैंड टैन्योर, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों तथा बाजार तक पहुँच पर जानकारी देने का एक समग्र प्रयास है।

प्रस्तुत सर्वे को IFAD के प्रारूप पर रैंडम सैंपल विधि से किया गया। सर्वे के लिये कुल 40 गाँवों (30 परियोजना और 10 गैर परियोजना क्षेत्र के गांव) के 300 लाभार्थियों और 100 गैर परियोजना क्षेत्र के परिवारों को सम्मिलित किया गया। इस आउटकम सर्वे का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

- 100% परिवार परियोजना के संबंध में जानकारी रखते हैं।
- 95% परिवार परियोजना द्वारा किये गये कार्यों से संतुष्ट हैं।
- फैडरेशन से जुड़े 100% परिवार मानते हैं कि फैडरेशन से जुड़ने के उपरान्त उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- 46% परिवार उत्पादक समूहों के सदस्य हैं।
- 100% परिवारों की आय के एक से अधिक स्रोत हैं।
- 63% परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है।
- 35 प्रतिशत परिवारों के पास नगद आय का स्रोत हैं।
- 94% परिवारों में भोजन की कमी नहीं है।
- शतप्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है।
- 90 प्रतिशत परिवारों के पास पशुधन हैं।
- 67 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि कृषि उत्पादों की बिक्री से उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- 83 प्रतिशत परिवार अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचते हैं।
- 98 प्रतिशत परिवारों के खाते बैंक में हैं।
- 46 प्रतिशत परिवार नगदी फसल उत्पादन करते हैं।
- 61% परिवारों ने मुख्यतः स्वयं सहायता समूहों से ऋण लिया है।
- 49 प्रतिशत परिवारों ने आय अर्जन की गतिविधियों हेतु ऋण लिया है।
- 52 प्रतिशत परिवारों ने परियोजना द्वारा प्रोत्साहित नई तकनीकी को अपनाया है।
- 8 प्रतिशत परिवारों के अपने गैर कृषि उद्यम हैं।
- 36% परिवारों के सदस्यों ने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- 14 प्रतिशत परिवारों ने प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार प्राप्त किया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और जैंडर को मुख्यधारा में लाने से परियोजना के लाभार्थियों की आय में वृद्धि से, फसल उत्पादकता में वृद्धि से, भूमि स्वामित्व के बढ़ने से, सिंचित क्षेत्र के बढ़ जाने से, पशुओं की संख्या में वृद्धि से, नई तकनीकों को अपनाने से, बाजार तक पहुँच बढ़ने से कृषि उत्पादों की बिक्री से आय में वृद्धि और सामूहिक विपणन से सर्वे के परिणामों पर परियोजना का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

अपने धानों को जानों

उत्तराखण्ड से निकलने वाली बड़ी नदियां तो सीधे मैदानों की तरफ चली गई हैं, परंतु छोटी-छोटी नदियों से यहां असंख्य नहरें निकाली गई हैं और घाटियों को काटकर बनाये गये खेतों तक पहुंचायी गई हैं। इन सिंचित खेतों में खरीफ के मौसम में धान उगाया जाता है। यद्यपि इस तरह के सिंचित खेत पहाड़ों में बहुत कम हैं, परंतु इनमें जो फसल होती है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा उसमें इतनी अधिक विविधता है कि उसने जीवन को ही विविधतापूर्ण बना दिया।

वर्ष 1960 के आस-पास शुरू की गई हरित क्रांति ने यह विविधता समाप्त कर दी। हालांकि हरित क्रांति पहाड़ों में थोड़ा देर से पहुंची, किंतु उसने हमारे परंपरागत धानों को खत्म कर दिया या फिर दूर-दराज के खेतों में धकेल दिया। वर्ष 1960 से पहले उत्तराखंड में धान की तीन हजार से अधिक प्रजातियां होती थीं। फिर बाकी प्रजातियां कहां गईं? वस्तुतः वे हरित क्रांति की चकाचौंध में नष्ट हो गईं। तरह तरह के धान होते थे पहाड़ों में। कोई धान गहरी घाटियों में होता थां, तो कोई ऊंची चोटियों पर, कोई अधिक पानी में होता था, तो कोई कम पानी में, कोई पूरवी ढाल पर अच्छा होता था, तो कोई पश्चिमी ढाल पर, कोई दो महीने में हो जाता था, तो कोई तीन महीने में, कोई चार महीने में, तो कोई छह महीने में, कोई प्रजाति ओले को सहन कर लेती थी, तो कोई आसानी से झड़ जाती थी, किसी का भात बहुत बढ़िया होता था, किसी के चूड़े अच्छे बनते थे, तो कोई मिट्टी को मजबूती से पकड़ती थी।

गरज यह कि जितनी किस्म के धान होते थे, उतने ही उनके गुण होते थे। लेकिन हरित क्रांति ने उन्हें हमारे खेतों से उखाड़ दिया और संकर नस्ल के धान फैला दिए, जो खेतों में चार-छह सालों से अधिक नहीं टिकते तथा किसान को फिर बीज भंडार की तरफ जाना पड़ता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि सभी प्रकार के संकर धानों में जैविक एकरूपता मौजूद रहती है। हर नई किस्म में ताईवानी धान डीजाओ ऊ जेन का जीन डाल दिया जाता है। सबसे पहले इसको तथा इंडोनेशिया की पेटा किस्म को मिलाकर आई.आर. 8 धान निकाला गया, इनके बिना कोई संकर प्रजाति सफल नहीं होती।

मगर धान का वंश क्या है और वह धरती पर कैसे उत्पन्न हुआ, यह जानना भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। इसका पौधा ओराइजा लिलिआ (ग्रेमिनी) कहलाता है तथा इसकी 13 प्रजातियां होती हैं। लेकिन उनमें से ओराइजा सैटाइवा तथा आराइजा ग्लैबेरिमा की ही खेती होती है। ओराईजा सैटाइवा में धान की वे सभी किस्में आ जाती हैं,जो संसार भर में पाई जाती हैं।

ऐसा माना जाता है कि धान की उत्पत्ति भारत या दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। यह बात अब स्थापित हो गई है कि जंगली धान सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन में सिर्फ उनकी प्राप्ति का उल्लेख है। ज्यादातर

सूचनाएं इस बात का समर्थन करती हैं कि ओराइजा सैटाइवा का विकास दक्षिण पूर्व एशिया (भारत या हिंदचीन) में हुआ था। भारत को धान का मूल स्थान इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहां खेती-वाड़ी वाले और जंगली धानों के बीच की कड़ियां मिलती हैं। उत्तराखंड में दोनों तरह के धान प्रचलित हैं। किंतु हजारों सालों से अलग-अलग ढलानों पर उगने के कारण उनकी भिन्न-भिन्न प्रजातियां बन गई हैं। जौनसार-बावर और रवाई क्षेत्र में च्वाटू उगता है, जिसका चावल लाल तथा भात बेहद स्वादिष्ट होता है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले में सुखनंदी उगता है, तो अल्मोड़ा की लोदघाटी में थापाचीन एवं देहरादून जिले के भोगपुर क्षेत्र में नागणी धान होता है। पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में तीन किस्म का जमाली उगाया जाता है। कहीं गोरखपुरी उगाया जाता है, तो कहीं हंसराज, कहीं रिख्वा पैदा होता है, तो कहीं कलौं। कलौं धान की विशेषता यह है कि उसे गर्भपात या प्रदर के दौरान दिया जाए तो उससे काफी लाभ होता है। पीलिया में भी इस धान से काफी फायदा होता है। इसी तरह पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में साल प्रजाति उगाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को आंव आ रही हो, तो साल के चावल दही के साथ पकाकार खिलाए जाते हैं।

इनके अलावा कई दूसरे धान भी पहाड़ में बचे हैं, परंतु वे मुख्य भूमि से हट कर दूर दराज के खेतों में चले गये हैं। बीज बचाओं आंदोलन ने धानों तथा विभिन्न बीजों की प्रकृति को जानने-समझने के लिए सन् 1998-99 में आराकोट से अस्कोट तक पैदल यात्रा की।

इसके बावजूद पहाड़ों में अभी अनेक क्षेत्र हैं, जिनकी जानकारी बीज बचाओं आंदोलन को नहीं मिल पाई। लेकिन पहाड़ों में अब जितने किस्म के धान बचे हैं, उनकी संख्या मुश्किल से एक हजार तक होगी। अन्य प्रजातियां हरित क्रांति के दौर में छूट गईं। उन्हें अब कहीं से नहीं लाया जा सकता। अतः किसी भी सरकारी आंदोलन को सावधानी से अपनाया जाना चाहिए।

■ कुंवर प्रसून, साभार-पर्वत जन

ज्ञानवर्धन लेख

गढ़वाल क्षेत्र में तुलसी उत्पादन गरीब और छोटे किसानों के लिए आयअर्जक गतिविधि

तुलसी को भारत में अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है। इसकी पत्तियों को देवी देवताओं की पूजा अर्चना में चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तुलसी का पौधा ग्रामीण गरीबों के लिये महत्वपूर्ण आजीविका के अवसर और सरकार हेतु राजस्व के स्त्रोत के रूप में लगातार अपनी पहचान बना रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, औषधीय एवं सगंध पौधों के एकत्रीकरण और प्रसंस्करण से वर्ष में कम से कम 3.5 मिलियन कार्य दिवस रोजगार प्राप्त होता है। औषधीय पौधों की वैश्विक मांग का अनुमान लगभग ₹ 60 से 62 अरब डॉलर का लगाया गया है जो 7 से 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।

तुलसी के वैल्यूचेन विकास नाम की परियोजना गरीव व छोटे किसानों को तुलसी वैल्यूचेन के माध्यम से तुलसी के उपार्जन से वैल्यू एडेड उत्पादों के बाजार विकास तक सभी उच्च तकनीकें उपलब्ध करवा रही हैं ताकि किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसका क्रियान्वयन जनपद चमोली के घाट और कालेश्वर क्षेत्र में किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था हार्क ने तुलसी के उत्पादन से जुड़े 200 लक्षित परिवारों के साथ सुगमीकरण का कार्य प्रारंभ किया। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर में, तुलसी प्रसंस्करण के कार्य से जुड़े समूहों में अधिकांश महिला सदस्य हैं और वे तुलसी से बने उच्च मूल्य के उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री से अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं।

तुलसी की उपलब्धता, किस्मों, उत्पादन और बाजार के अवसरों आदि की जानकारी लेने हेतु, प्राथमिक डाटा को पारिवारिक सर्वे के माध्यम से एकत्र किया गया। पहली अवस्था में उत्तराखंड में तुलसी के उत्पादन क्षेत्र की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिये गढ़वाल क्षेत्र के जनपद चमोली का चयन किया गया। इस अध्ययन को 3 विकासखंडों के 05 गाँवों में किया गया। यहां तुलसी उत्पादन का क्षेत्र काफी बड़ा था। सैंपल के लिये 100 उत्पादकों का चयन किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि सैंपल में सभी आर्थिक श्रेणियों के परिवारों को सम्मिलित किया जाय।

परिणाम

इस अध्ययन को जनपद चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग, पोखरी और घाट के 05 गाँवों में किया गया। सर्वे सैंपल के लिये 100 उत्पादकों का चयन किया गया, जो छोटे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के किसान थे। इस जनपद के अधिकांश किसान लगभग 75% खेती और घरेलू गतिविधियों से जुड़े हैं और शेष 10, 5 और 6% दैनिक श्रमिक, छोटे व्यवसाय तथा दुकान जैसे व्यवसाय कर रहे हैं। परिवारों के भूमि संबंधी डाटा का विश्लेषण करने से पता चलता है कि प्रति परिवार औसत भूमि एक हेक्टेयर से भी कम है। अधिकांश किसान अभी भी अपने खेतों में परंपरागत फसलों का ही उत्पादन करते हैं। बहुत ही कम किसानों की वार्षिक आय ₹ 10,000 से 100,000 है।

किसान सब्जियों, मसालों, पशुओं और गैर-कृषि उत्पादों के उत्पादन में रूचि ले रहे हैं। परिवारों से बातचीत से ये स्पष्ट है कि उक्त चार गतिविधियों को करने से, कम समय में तथा बिना जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाये हुये ही, उन्हें उनकी फसलों का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा और परिवारों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 19% परिवारों ने कहा कि बैंकों तक पहुँच और ऋण प्राप्त करने करने में उन्हें काफी कठिनाई होती है। प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 100 में से 65 परिवार नये उच्च मूल्य की फसलें खासकर तुलसी उत्पादन में रूचि ले रहे हैं।

तुलसी उत्पादन से, एक फसल चक्र में किसानों को लगभग ₹ 65,000/- मसाला उत्पादन से ₹65,000/- तथा सब्जी उत्पादन से ₹ 25,000/- की

आय होती है। तुलसी की फसल वर्ष में दो बार उगाई जा सकती है। जंगली जानवर भी तुलसी को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। दो परंपरागत फसलों के बीच के अंतराल में तुलसी उगाकर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है इसके उत्पादन में महिलाओं पर अतिरिक्त कार्य बोझ नहीं पड़ता है। इसे समाज में भी मान्यता प्राप्त है। तुलसी उत्पादन से पर्यावरण शुद्ध रहता है। इस पौधे के प्रत्येक भाग का महत्व है तथा प्रत्येक भाग की बिक्री से आय अर्जित की जा सकती है।

सगंध एवं औषधीय पौधों के उत्पादन के अंतर्गत तुलसी उत्पादन को अन्य परियोजनाओं द्वारा भी अपनी गतिविधियों में शामिल करना चाहिये। यद्यपि सहकारितायें तुलसी उत्पादन के लिये ग्राम्य स्तर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार को भी तुलसी के उत्पादन तथा विपणन के सुदृढ़ीकरण के लिये निर्णायक भूमिका निभानी होगी। सरकार तथा बाजार नियमन प्राधिकरणों को तुलसी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना चाहिये। इससे गरीब किसान तुलसी उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे और उन्हें इसके लिये प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

श्री मनोज रावत
कार्यक्रम प्रबन्धकः मार्केट एक्सेस,UGVS

ज्ञानवर्धन लेख

संरक्षित क्षेत्रों में ईको–पर्यटन

ईको-टूरिज्म दायित्वपूर्ण यात्रा का एक रूप है जो प्राकृतिक स्थलों के आस-पास भ्रमण द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रमण के दौरान उन स्थानों का संरक्षण तथा स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि करना है। पर्यटकों के लिये इन दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों के जीवजंतु व सांस्कृतिक विरासत मुख्य आकर्षण होते हैं। ईको-टूरिज्म का महत्वपूर्ण तत्व मेजबान और पर्यटकों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव विकसित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय ईको-टूरिज्म सोसाइटी के अनुसार ईको-टूरिज्म की गतिविधियों के लिये निम्न सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिये

1- ईको- टूरिज्म के दौरान कम से कम भौतिक, सामाजिक, व्यवहारजन्य तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ें।

2- पर्यटन स्थल की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चेतना तथा इसके प्रति आदर भाव को विकसित करें।

3- पर्यटकों व मेजबान दोनों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त होने चाहिये।

4- भ्रमण के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें।

5- पर्यटन से स्थानीय लोगों और निजी उद्योग दोनों के लिये वित्तीय लाभ सुनिश्चित करें।

6-पर्यटकों को यात्रा के यादगार अनुभवों को संजोने में सहायता करें, जिससे उनकी मेजबान देश की राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक माहौल के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सके।

7- ऐसी सुविधाओं का डिजाईन व निर्माण करें जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता हो।

8- पर्यटक स्थलों के स्थानीय समुदाय के लागों के आध्यात्मिक विश्वासों, मान्यताओं तथा उनके अधिकारों को सम्मान दें और उनके सशक्तीकरण के लिये उनके साथ सहभागिता से कार्य करें।

ईको-टूरिज्म को बहुधा प्राकृतिक संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिये सहयोग देकर उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1980 से ही इको-टूरिज्म की अवधारणा को संवेदनशील प्राकृतिक स्थलों की दायित्वपूर्ण यात्रा के मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके और पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दिया जा सके। ईको-प्रणालियों और जैवविविधता संबंधी स्थलों से प्राप्त होने वाले लाभ सर्वविदित हैं जिसमें मुख्य प्रजातियों और उनके वास स्थानों का संरक्षण, प्राकृतिक जल छनन, कार्बन पृथक्करण आदि शामिल हैं। इसके माध्यम से, संरक्षित क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्रों के कार्य स्पष्ट हैं। यद्यपि इनको मान्यता मिली हुई है फिर भी इनके लाभों को भली भांति नहीं समझा गया है। संरक्षित क्षेत्रों पर मानव आर्थिकी की बढ़ती

मांग के कारण अत्यधिक दबाव है। इन संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण और रखरखाव भी काफी खर्चीला है।

इको-टूरिज्म, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन (पार्क और पर्यटक केंद्रों के प्रवेश शुल्क के रूप में) हेतु वित्तीय योगदान के लिये महत्वपूर्ण है और संरक्षित क्षेत्रों से होने वाले लाभों की बेहतर समझ बनाने में भी सहयोग करता है। संरक्षित क्षेत्र, लोगों को दैनिक जीवन से हट कर, एक मध्यवर्ती क्षेत्र का निर्माण करता है क्योंकि प्रकृति विश्राम करने, साहसिक अनुभवों तथा आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक आकर्षक व अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इससे भी अधिक, इको-टूरिज्म प्राकृतिक स्थानों के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिये वैकल्पिक आजीविका का विकल्प भी प्रस्तुत करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी पारंपरिक निर्भरता को भी कम करता है।

हालांकि ईको-टूरिज्म चुनौतियां लेकर भी आता है। प्राकृतिक क्षेत्रों के आस-पास पर्यटन गतिविधियों के संचालन की योजना, उनका प्रबंधन और अनुश्रवण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये ताकि वे लंबे समय तक चल सकें। क्षेत्र के ईको-सिस्टम व जैवविविधता को खराब करने की अपेक्षा उसको बनाये रखने में योगदान दें। अतः इसके लिये एक समन्वित प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित किये जाने की सिफारिश की जानी चाहिये।

तेजी से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण ईको-टूरिज्म दृष्टिकोण की समीक्षा की जानी चाहिये। पर्यटक स्थलों, पर्वतों और खासकर समुद्री क्षेत्रों द्वारा झेले जा रहे मुद्दों में जलवायु परिवर्तन के परिणाम सबसे गंभीर और दीर्घावधि प्रभावों वाले होंगे। इसके साथ ही साथ पर्यटन सकारात्मक कार्यों को प्रेरणा देने के लिये भी अनेकों अवसर लेकर आता है जैसे जलवायु के अनुकूल संचालन प्रबंधन प्रणालियां व रणनीतियां बनाने और पर्यटकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में। अतः हमें एक सच्चे एवं वास्तविक इको टूरिज्म के मॉडल पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने संबंधी रणनीति बनाकर संरक्षित क्षेत्रों के योगदान को बढ़ावा दिया जा सके।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति

अन्तरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। ग्रामीण परिवारों को चिरन्तर आजीविका का अवसर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाते हुये, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति जानी है।

परियोजना वर्ष 2012 13 से वर्ष 2018 19 तक कुल सात वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुआ है। परियोजना का संचालन उत्तराखण्ड के 11 जनपदों के 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

परियोजना का कार्यान्वयन तीन संस्थाओं उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति-UGVS, परियोजना समिति जलागम प्रबन्ध निदेशालय-PSWMD तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी-UPASaC के द्वारा किया जा रहा है। तीनों संस्थाओं के मध्य समन्वयन एवं प्रबन्धन का कार्य केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई-CPCU द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना के तीन घटक हैं

1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि इस घटक के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति-UGVS द्वारा किया जा रहा है।

2 सहभागी जलागम विकास इस घटक के कार्यक्रमों को परियोजना समिति जलागम प्रबन्ध निदेशालय PSWMD द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

3 आजीविका वित्त पोषण इस घटक कार्यक्रमों को परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी-UPASaC द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

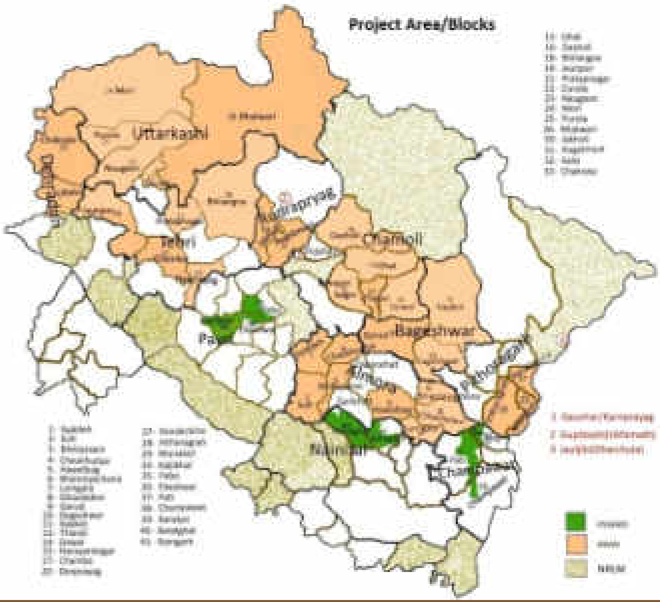

– सम्पर्क पते –

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई

- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
  टेलीफैक्स: 05962-230910, 230305,
  ईमेल: dpmalmora@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
  टेलीफैक्स: 05963-221502, 211746
  ईमेल: dpmbageshwar@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
  टेलीफैक्स: 01372-251355, 251451
  ईमेल: dpmchamoli@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
  टेलीफैक्स: 01376-256133, 256249
  ईमेल: dpmtehri@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
  टेलीफैक्स: 01373-223925, 223466
  ईमेल: dpmuttarkashi@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रुद्रप्रयाग
  ईमेल: dpmrudraprayag@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
  ईमेल: dpmpithoragarh@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
  ईमेल: dpmdehradun@ugvs.org

परियोजना की सहयोगी संस्थाएं

क्र०सं०	तकनीकी एजेंसियां	ब्लॉक समन्वयक	विकासखण्ड	जनपद
1	CBED (सीबेड) (सेंटर फॉर बिज़नेस एण्ड एंटरप्रेनोरियल डवलेपमेंट सोसायटी, देहरादून)	9410131570	जौनपुर	टिहरी
		9012665853	मुनाकोट	पिथौरागढ़
2	SBMA (एस०बी०एम०ए०) (श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, टिहरी)	9927465474	गरुड़	बागेश्वर
		8937090529	घाट/थराली	चमोली
3	GRASS(ग्रास) (ग्रामीण समाज कल्याण समिति, अल्मोड़ा)	9412167235	द्वाराहाट	अल्मोड़ा
		9412927804	सल्ट	
4	ATI (ए०टी०आई०) (एप्रोप्रिएट टैक्नोलॉजी इंडिया, देहरादून)	8006407512	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
		8006407505	चम्बा	टिहरी
5	ASEED (असीड) (एशियन सोसायटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डवलेपमेंट, दिल्ली)	8476899997	जखोली	रुद्रप्रयाग
		9756829729	अगस्तमुनि	
6	IFFDC (आई०एफ०एफ०डी०सी०) (इण्डियन फार्म फॉरेस्ट्री डवलप्मेंट को आपरेटिव लि०, गुड़गांव)	9456595651	भिकियासैंण	अल्मोड़ा
		9456595651	चौखुटिया	
7	HARC (हार्क) (हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून)	9456166215	कालसी	देहरादून
		9971499218	चकराता	

प्रकाशक: श्री विजय कुमार, मुख्य परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना।
संपादकीय टीम: ज्ञान प्रबंधन इकाई, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
पता: 216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून, टेलीफैक्स: 0135-2774800, 2773800
ईमेल: info@ugvs.org,km@ugvs.org वेबसाईट: www.ugvs.org
केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित